

उपनाम

- 1- सोनू मालव पुत्री रामेश्वर पत्नी देवकीनन्दन जाति धाकड़ निवासी मोरणा तहसील दीगोद जिला कोटा
- 2- राधा मालव पुत्री रामेश्वर पत्नी रतन जी जाति धाकड़ निवासी आखेडी तहसील अन्ना जिला बांरा।

(वादी)

बनाम

- 1- राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा (राज.)

(प्रतिवादी)

वादनीगण की ओर से - श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-89 आरटीएक्ट

मिसल नं 194/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि - वादनीगण का वात्र पत्र स्वीकार करते हुए ग्राम श्रोटीली तहसील दीगोद जिला कोटा के खसरा नम्बर 104 रकबा 0.21 हैक्टर, खसरा नम्बर 178 रकबा 3.33 हैक्टर, खसरा नम्बर 179 रकबा 1.78 हैक्टर, खसरा नम्बर 199 रकबा 3.63 है0, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.28 है0, खसरा नम्बर 299 रकबा 2.74 है0 कुल 6 किता 11.97 हैक्टर भूमि में वादनीगण का नाम सोनिया के स्थान पर सोनिया उर्फ सोनू मालव व राधे कुमारी के स्थान पर राधे कुमारी उर्फ राधा मालव राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मुताबिक निर्णय राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 09.09.2025 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपयै	पैसे	मुदालयह	रूपये	पैसे
स्टाम्प	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह	0	0			
सबूत			महन्ताना वकील	0	0
महन्ताना वकील	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	बबत इजराय	0	0
बबत इजराय	0	0	हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुत0	0	0
मुत0	0	0	मिलान	0	0
मिलान	0	0			

सहायक कलक्टर
दीगोद जिला कोटा (राज.)